DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE DY. DIRECTOR (LABOUR WELFARE)
VARUNALYA 'B' BLDG.: KAROL BAGH:NEW DELHI-05.

NO.F-1/DJB/DD (LW)/Sewer Cleaning/2013/ 93688 **DATED:** 19 . 8 . 13

ENDORSEMENT

Enclosed please find herewith a Delhi Gazette Notification No. F7(4)/2012-13/DSCST/SCP/909 dated 12.04.2013 regarding "Ban on manual sewer cleaning in Delhi".

The same is endorsed for information and strict compliance.

This issues with the approval of competent authority.

Encl: As Above.

14/8/13
(Prakash Chander)
Dy. Director (L.W.)

All DDOs.

Copy for kind information please:-

1. Vice Chairman, DJB
2. All Member of DJB
3. Chief Executive Officer, DJB
4. Member (A)/Member (F)/Member (WS)/Member (Dr)/CVO
5. Secretary DJB/Addl.CEO.
6. All CEs/SEs/EEs
7. All Director/ All Jt. Directors (Rev.)/All Jt. Dir. (F&A).
8. Dy. Dir. Delhi Commission for Safai Karamcharis, Govt. of NCT of Delhi, 5477/72, Kalyan Bhawan, Kikarwala Chowk, Raigarpura, Karol Bagh, New Delhi-110005.
9. All Dy. Directors/ACs/MOIs/LO/AC(P&M)/ All ZRO's.
10. All AO's/All AAO's/ All Unions
11. Consultant (PR) with the request to publish in Varun Patrika.
12. *EE(EDP) with the request to upload this order on the web-site of DJB.*
13. *Standing Guard file.*
14. *Officer Order Book.*

20/8/13

Dy. Director (L.W.) 14/8/13

11/C

DELHI COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARIS
Govt. of National Capital Territory of Delhi
5477/72, Kalyan Bhawan, Kikarwala Chowk, Raigarpura, Karol Bagh. New Delhi-110005
Ph. No. 25750320-21, Fax : 25750324

F.No.1.(190)/2011/DCSK//028 (1)

Dated: 12/7/13

To

The CEO,
Delhi Jal Board,
Jhandewalan, New Delhi.-5

Sub :Delhi Gazette Notification no. F7(4)/2012-13/DSCST/SCP/909 Dated- 12, April, 2013 regarding Ban on Manual Sewer Cleaning in Delhi.

Sir,

Please find enclosed herewith the copy of Delhi Gazette notification no .F7(4)/2012-13/DSCST/SCP/909 dated 12th April, 2013 on the above mentioned subject, for information and necessary action.

Yours faithfully.

(D.K. SAINI)
DY. SECREARY

Encl: As above.

10/c

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L. —33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2013/चैत्र 22, 1935	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 9
No. 62]	DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2013/CHAITRA 22, 1935	[N.C.T.D. No. 9

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अप्रैल, 2013

फा.सं. 24(1)/2013/विसस–4/विधायी/2322.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ने दिल्ली विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3(3)(बी)(iii) के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए तीनों नगर निगमों में प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किया है :—

1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	विधान सभा क्षेत्र व संख्या	पता
1.	श्री राजकुमार चौहान	(12) मंगोलपुरी	60, मैरा एन्कलेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली– 110060.
2.	श्री हारून यूसुफ	(22) बल्लीमारान	206, रॉस एवन्यू, नई दिल्ली–110002.
3.	श्री कंवर करन सिंह	(18) मॉडल टाउन	80, राजपुरा गाँव, गुड़ मंडी, दिल्ली–110007.
4	श्री सुभाष सचदेवा	(25) मोती नगर	डी–42, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली
5	श्री कुलवन्त राणा	(06) रिठाला	म नं 6, मेन बवाना रोड, शाहाबाद एक्सटेंशन, दिल्ली

2. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	विधान सभा क्षेत्र व संख्या	पता
1.	श्री मुकेश शर्मा	(32) उत्तम नगर	सी–25, विकासपुरी, नई दिल्ली।
2.	श्री अरविन्दर सिंह	(47) देवली	11 ए, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
3.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	(50) ग्रेटर कैलाश	6, बिशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली–110001.
4.	श्री हरशरण सिंह बल्ली	(28) हरीनगर	7/13, सुभाष नगर, नई दिल्ली–110027.
5.	श्री सतप्रकाश राणा	(36) बिजवासन	म.न.–823, गाँव एवं डाकघर बिजवासन, नई दिल्ली–110061.

3. पूर्वी दिल्ली नगर निगम

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	विधान सभा क्षेत्र व संख्या	पता
1.	श्री अमरीश सिंह गौतम	(56) कोंडली	10/160–161, खिचड़ीपुर, दिल्ली–110091.
2.	श्री अरविन्दर सिंह लवली,	(61) गाँधी नगर	9, शामनाथ मार्ग, दिल्ली–110054.
3.	डॉ. हर्षवर्द्धन	(60) कृष्णा नगर	ई–8ए/14, कृष्णा नगर, दिल्ली–110051.

पी. एन. मिश्रा, सचिव.

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th April, 2013

No.F.24 (1)/2013/LAS-IV/Leg./2322.—The Hon'ble Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate the following members of the Delhi Legislative Assembly to Municipal Corporation of Delhi, as per the provision of Section 3(3) (b) (iii) of Municipal Corporation Act, 1957 for a period of one year.

1. North Delhi Municipal Corporation

S.No.	Name of the Member	Constituency	Address
1.	Sh. Raj Kumar Chauhan	(12) Mangol Puri	60, Behra Enclave, Paschim Vihar, New Delhi-110060.
2.	Sh. Haroon Yusuf	(22) Ballimaran	206, Rouse Avenue, New Delhi-110002.
3.	Sh. Kanwar Karan Singh	(18) Model Town	80, Rajpura Village, Gur Mandi, Delhi-7.
4	Sh. Subhash Sachdeva	(25) Moti Nagar	D-42, Mansarover Garden, New Delhi
5.	Sh. Kulwant Rana	(06) Rithala	H.No.6, Main Bawana Road, Shahabad Extn., Delhi

2. South Delhi Municipal Corporation

S.No.	Name of the Member	Constituency	Address
1.	Sh. Mukesh Sharma	(32) Uttam Nagar	C-25, Vikas Puri, New Delhi.
2.	Sh. Arvinder Singh	(47) Deoli	11 A, Teen Murti Marg, New Delhi
3.	Prof. Vijay Kumar Malhotra	(50) Greater Kailash	6, Bishambhar Dass Marg, New Delhi-01
4.	Sh. Harsharan Singh Balli	(28) Hari Nagar	7/13, Subhash Nagar, New Delhi-27
5.	Sh. Sat Prakash Rana	(36) Bijwasan	H.No. 823, V&PO Bijwasan, New Delhi-61

3. East Delhi Municipal Corporation

S. No.	Name of the Member	Constituency	Address
1.	Sh. Amrish Singh Gautam	(56) Kondli	10/160-161, Khichripur, Delhi-110091.
2.	Sh. Arvinder Singh Lovely	(61) Gandhi Nagar	9, Sham Nath Marg, Delhi-110054.
3.	Dr. Harsh Vardhan	(60) Krishna Nagar	E-8A/14, Krishna Nagar, Delhi-51.

P. N. MISHRA, Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अप्रैल, 2013

सं. फा. 3(21)/2006/डीबीसीपी/1–8. जबकि दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 4) की धारा 37 द्वारा यथाअपेक्षित दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2000 जो कि सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि में इसके द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए 1 जनवरी, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रचलित दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित की गई है, उसमें संशोधन करने के लिए दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारूप वाली सार्वजनिक सूचना को प्रकाशित किया गया है।

और जबकि उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनता से कोई भी आपत्ति तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

अब, इसलिए, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 4) की धारा 37 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित और नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.– (1) इन नियमों को दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जाए।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

22

2. नियम 10 का संशोधन.– दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2000 के नियम 10 के उप–नियम (1 के खंड (घ) के स्थान पर निम्न खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(घ) शुल्क का प्रभार –

- शुल्क परिषद् द्वारा निम्नानुसार लिया जाएगा :–

क्र.सं.	उद्देश्य	राशि (रूपये)
I.	रजिस्टर में नाम/पते के परिवर्तन के रिकार्ड के लिए	500
II.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अतिरिक्त योग्यता दर्ज करने के लिए	1000
III.	पंजीकरण/अस्थायी पंजीकरण की डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए	500
IV.	डुप्लीकेट पहचान पत्र जारी करने के लिए	150
V.	रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए	100
VI.	अस्थायी पंजीकरण	2000
VII.	पंजीकरण	4000
VIII.	जारी (पंजीकरण का नवीनीकरण)	1250
IX.	मैडिकल प्रेक्टिसनरों के रजिस्टर में पुनःस्थापन के लिए शुल्क	2000
X.	पंजीकरण न कराने पर विलम्ब शुल्क	शून्य
	(क) उस तारीख से तीन माह की अवधि तक जिससे पंजीकरण होना था।	
	(ख) तीन माह से अधिक अवधि लेकिन छः माह तक	1000
	(ग) छः माह से अधिक अवधि लेकिन एक वर्ष तक	2000
	(घ) एक वर्ष से अधिक अवधि लेकिन पाँच वर्ष तक	4000
	(ड) पाँच वर्षो से अधिक अवधि के लिए	4000 + 1500 प्रति वर्ष
XI.	पंजीकरण के नवीनीकरण न कराने पर विलंब शुल्क	
	(क) उस तारीख से एक माह तक जिससे नवीकरण हेतु पंजीकरण होना था।	शून्य
	(ख) एक माह से अधिक अवधि के लिए लेकिन तीन माह तक की अवधि तक।	500
	(ग) तीन माह से अधिक अवधि के लिए लेकिन छः माह तक की अवधि।	1000
	(घ) छः माह से अधिक अवधि के लिए लेकिन नौ माह तक की अवधि।	1500
	(ड़) नौ माह से अधिक अवधि के लिए लेकिन एक वर्ष तक की अवधि।	2000
	(च) एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए	2000 प्रति वर्ष लेकिन 4000 से अधिक नहीं
XII.	अच्छे कार्य के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु	500
XIII.	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु	750
XIV.	पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-1,4,8 एवं 14) सहित सूचना विज्ञप्ति जारी करने हेतु	200"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुधीर कुमार, विशेष सचिव

नोट : मुख्य नियम सं.फा/22/42/98-स्वा. एवं प.क.-II/366 दि. 23-8-2001 एवं सं. फा. 3(21)/2006/डीबीसीपी/1953 दि. 31-8-2007 व सं. फा. 3(21)/2006/डीबीसीपी/492-500 दि. 7-6-2010 के द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

81C

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 12th April, 2013

No. F.3 (21)/2006/DBCP/1-8.—Whereas a public notice containing the draft of the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad (Amendment) Rules, 2013 to amend the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Rules, 2000 was published, as required by section 37 of the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Act, 1998 (Delhi Act No.4 of 1999), in the Delhi Gazette Extra Ordinary Part-IV having circulation in the National Capital Territory of Delhi on dated the 1st January, 2013 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date of publication of public notice;

And whereas no objection and suggestion was received from the public with respect to the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 37 of the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1999), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Rules, 2000, namely: —

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad (Amendment) Rules, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 10.**- For clause (d) of sub-rule (1) of rule 10 of the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Rules, 2000, the following clause shall be substituted, namely: —

"(d) **Charging of Fees-**

- FEES SHALL BE LEVIED BY THE PARISHAD AS SHOWN BELOW : —

S.No.	Purpose	Amount (in Rs)
I.	For recording any change of name/ address in the Register	500
II.	For entering each additional qualification specified in the Schedule of the Indian Medicine Central Council Act, 1970	1000
III.	For issue of duplicate certificate of registration / provisional registration	500
IV.	For issue of duplicate Identity card	150
V.	For issue of certified copy of an entry in the register	100
VI.	Provisional Registration	2000
VII.	Registration	4000
VIII.	Continuation (Renewal of Registration)	1250
IX.	Fees for restoration of registration in the register of medical practitioners	2000

1485DG/13-2

21

X.	Late fees for Non-Registration	
	(a) Upto a period of three months from the date from which the registration was due	NIL
	(b) For a period more than three months but upto six months	1000
	(c) For a period more than six months but upto one year	2000
	(d) For a period more than one year but upto five years	4000
	(e) For a period more than five years	4000+ 1500 per year

XI.	Late fees for Non-Renewal of Registration.	
	(a) Upto one month from the date from which registration is due for renewal	NIL
	(b) For period more than one month but upto three months	500
	(c) For period more than three months but upto six months	1000
	(d) For period more than six months but upto nine months	1500
	(e) For period more than nine months but upto one year	2000
	(f) For period more than one year	2000 per year but not exceeding 4000
XII.	For issue of Certificate of Good Standing	500
XIII.	For issue of No Objection Certificate	750
XIV.	For issue of Application Form for Registration (Form-1, 4, 8 & 14) with Bulletin of Information	200"

- THE ABOVE FEE STRUCTURE SHALL BE NON REFUNDABLE.
- THE ABOVE FEE STRUCTURE MAY BE REVISED FROM TIME TO TIME BY THE PARISHAD.
- THIS FEE STRUCTURE SHALL BE IMPLEMENTED WITH IMMEDIATE EFFECT.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi

SUDHIR KUMAR, Spl. Secy

Note : The Principal Rules were published vide No. F/22/42/98-H&FW-II/366 dt. 23-8-2001 and subsequently amended vide No. F. 3(21)/2006/DBCP/1953 dt. 31-8-2007 & No.F.3 (21)/ 2006/ DBCP/492-500 dt. 7-6-2010.

7/C

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अप्रैल, 2013

सं. फा. 07(4)/2012–13/डीएससीएसटी/एससीपी/909.—दिनांक 8.1.2013 के आदेश सं. फा. 07(4)/2012–13/डीएससीएसटी/एससीपी/12398 का अतिक्रमण करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित अधिसूचना जारी करते हैं :—

2. जबकि 'दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग' नामक आयोग 08 नवम्बर, 2006 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा द्वारा पारित 2006 के दिल्ली अधिनियम 7 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या : 1(1)/एल.ए.–2003/एल.जे./06/7697, दिनांक 6.12.2006 के द्वारा स्थापित किया गया था और दिल्ली में रह रहे सफाई कर्मचारियों के अधिकार एवं हितों की रक्षा तथा शिकायतों के निवारण के लिए एवं इससे सम्बद्ध एवं इससे प्रासंगिक मामलों के लिए दिनांक 25.11.2006 को माननीय उपराज्यपाल द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुसार 'आयोग सफाई कर्मचारियों', की हितों से संबंधित सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर विशेष प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर सकता है ।

4. और जबकि आयोग ने दिल्ली में सीवरों की सफाई से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिनांक 20.04.2012 को विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

5. और जबकि सरकार ने आयोग के सचिव की अध्यक्षता में, मुख्य अभियन्ता (दिल्ली जल बोर्ड) और मुख्य अभियन्ता (डीएसआईआईडीसी) को इसके सदस्यों के रूप में दिनांक 16.7.2012 को विशेष प्रतिवेदन के पहलुओं की जांच करने हेतु तथा सीवर सफाई प्रारंभ करते समय अपनाए जाने वाले मार्ग निर्देशों/मानकों संबंधी सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की थी ।

6. और जब कि उक्त कथित समिति ने दिनांक 25.7.2012 को सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

7. और जबकि सरकार, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के विशेष प्रतिवेदन पर तथा अपने प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद इसके द्वारा अधिसूचित करती है :–

I. दिल्ली में व्यक्ति द्वारा सीवरों की सफाई प्रतिबंधित है।

II. यदि सीवर लाइन में मानवीय प्रवेश कुछेक लघुकारी परिस्थितियों में आवश्यक हो तो यह :–

क. कम से कम किसी अधीक्षण अभियन्ता स्तर के किसी अधिकारी के अनुमोदन से ।

ख. यह प्रविष्टि कम से कम उस सहायक अभियन्ता स्तर के किसी अधिकारी की उपस्थिति में होनी चाहिए जो सभी सुरक्षापायों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, जिसमें 'क' परिशिष्ट में उल्लिखित सहित ।

8. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

ललमलसोमा, प्रधान सचिव

"क" परिशिष्ट

सीवर सफाई का काम प्रारंभ करते समय विभाग/सिविक अभिकरणों/ठेकेदारों द्वारा अपनाए जाने वाले मानक/सुरक्षा मार्ग निदेश

1. **सुरक्षा के सांविधिक उपबंध**

- कारखाना अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत सीवरों की सफाई/गंदगी हटाने के लिये प्रतिनियुक्त कामगारों संबंधी प्रत्येक विभाग द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षोपायों के लिये निर्धारित दिशा निदेश ।
- सीवरेज प्रणाली (बीआईएस कोड संख्या 11972–1987) में प्रवेश करते समय सुरक्षा चेतावनियों के लिये अभ्यास का बीआईएस कोड भी है।

2. **बन्द स्थानों में प्रवेश के लिये ड्यूटी की अपेक्षाएं**

1. बन्द स्थलों/स्थानों में रोजगार के लिये विचार किये गये व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और दिये गए प्रशिक्षण को समझने में समर्थ होंगे। जो निम्नलिखित अपंगताओं से पीड़ित हैं, उन्हें इस प्रकार के कार्य के लिये भर्ती नहीं किया जाएगा और जो इनसे संपर्क में आते हैं वे इस पद में रोजगार पर नहीं लगाया जाएगा।

- दौरा पड़ने, अचेतना या मूर्च्छा से पीडित;
- हृदय रोगों या विकारों का इतिवृत्त;
- उच्च्य रक्त चाप;
- दमा, सांस लेने में कठिनाई, सांस फूलना;
- बहरापन;
- चक्कर आने या संतुलन खोने के रोगों से ग्रस्त या प्रभावित;
- बन्द स्थलों पर जाने से भय या तंत्रिका या मानसिक विकार;
- पीठ की पीड़ा या जोड़ों की पीड़ा जिससे बंद स्थानों में अंग कम घूम सकते हों;
- निचले अंगों की विरूपता या रोग जिससे अंग का सीमित संचालन होता है;
- असाध्य चर्म रोग;
- नेत्र दृष्टि में गंभीर दोष; तथा
- घ्राण शक्ति की कमी।
- कर्मचारियों की आयु तथा कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी–थोड़ी देर बाद यथोचित समय पर चिकित्सीय जांच करानी चाहिए।
- स्थानीय अभिकरण इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी पर्यवेक्षीय स्टाफ की प्रशिक्षण कराएगा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को समय–समय पर दोहराया जाएगा जिसमें बचाव के तरीके और सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग शामिल है।

सामान्य

- गर्मी के मौसम में व्यक्ति को मेनहोल में जाने की अनुमति प्रात: काल के समय या जब तापमान कम हो, तभी होनी चाहिए।
- एक बार में 15 मिनट से अधिक समय के लिये किसी भी व्यक्ति को मेनहोल के अन्दर काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद बाहर निकल आना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को भेजा जाए।
- किसी मेनहोल के 3 मीटर के अन्दर धुम्रपान, नंगी बत्तियां और आग का काम नहीं होना चाहिए।
- मेनहोल या सीवरों में काम कर रहे पुरुषों के पास उनके गैस पता लगाने वाले और अन्य सुरक्षा उपकरण अवश्य हों।
- जब काफी गहरी सीवरों में प्रवेश किया जाना है, कार्य स्थल के सीवरडाउन स्ट्रीम के पार गार्ड बारों या चेनियां अवश्य पसही ढंग से लगाई जाए।
- किसी तेज प्रवाह धारा वाले सीवरों में काम करते समय एक जीवन रेखा का प्रयोग अवश्य किया जाए।
- ऐसे कामगारों को संरक्षा उपायों की प्रति हिन्दी/स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाए।
- स्थल के समीप अस्पताल में शीघ्र भर्ती तथा उपचार सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था सहित उपचार व्यवस्था के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएं। प्रत्येक दुर्घटना की सूचना तुरंत संबंधित प्राधिकारी को दी जाए।
- व्यक्ति के अचानक बीमार होने पर, जब यह समझा जाता है कि यह "गैस" के कारण है तो टॉप मैन को तुरंत चेतावनी दी जानी चाहिए। बशर्ते आकस्मिक उपचार दिया जा रहा हो व्यक्ति को तुरंत जमीन पर लेट जाना चाहिए। श्वास के उपस्करों के बिना कोई और बचाव कार्य नहीं करना चाहिए और अग्नि तथा एम्बूलेंस सर्विस को फोन कर तुरन्त मदद मांगनी चाहिए।
- मेन सीवर डिवीजन की सफाई तथा सीवर लाइन मेनहोल इत्यादि के डी–सिल्टिंग ऑपरेशन के कार्य में लगे प्रत्येक कामगार की वर्ष में एक बार चिकित्सा जांच की जाए और यदि वे श्वास, चर्म, आँखों की समस्या, संक्रमण, कार्डियो वैस्कूलर, स्पाइनल, मनोविकृति प्रकृति जैसी किसी बीमारी से जुझ रहा है तो उससे कार्य न लिया जाए। ठेकेदार ठेका ऐजेंसी से पंजीकृत चिकित्सा से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा जो यह दर्शाएगा कि क्लीनिंग एवं डी–सीलिंग ऑपरेशन के उक्त ठेका में लगे वर्कर उपरोक्त उल्लिखित बीमारियों से ग्रसित नहीं है।
- कामगारों को कुछ बीमारियों के बचाव हेतु टीके भी लगाए जाए जोकि सीवर कामगार सामान्यत: अपने कार्य की प्रकृति के कारण जूझते हैं।
- चमडी तथा आँखों को धोने के लिए वाशिंग बोतल सहित प्रथम चिकित्सा बॉक्स उचित प्रकार से स्टॉक करने चाहिए।
- सीवर क्लीनिंग तथा डी–सीलिंग कार्य के लिए स्थानीय निकाय द्वारा लगाए गए ठेकेदार सीवर लाइन तथा/या डी–सीलिंग के कार्य के लिए उसके द्वारा लगाए गए प्रत्येक कामगार के लिए एक

लाख रुपये के लिए ठेका लागत पर (व्यक्तिगत या ग्रुप) बीमा पॉलिसी लेंगे ताकि उक्त कार्य के दौरान कामगार की मृत्यु, स्थायी अपंगता या अस्पताल में भर्ती होने का कार्य किया जा सके। इसी प्रकार का इंश्योरेंस कवर की स्थानीय निकाय/प्राधिकार द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ऐसे कार्य में लगे इसके नियमित रोल/आकस्मिक रोल के लिए सीवर लाइन का अनुरक्षण तथा ऑपरेशन।

- किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संरक्षा उपस्कर जैसे सांस के उपकरण, डाइवरस सूट, एयर ब्लोअर, इस्केप सेट इत्यादि वाला वाहन उपलब्ध होना चाहिए। उसी वाहन में अन्य सुविधाएं जैसे आइ वॉश इत्यादि के लिए फर्स्ट एड किट का प्रावधान होना चाहिए। आपात या दुर्घटना की स्थिति में इस वाहन को एम्बूलेंस के रूप में प्रयोग करना चाहिए।
- आवासीय पता, आयु इत्यादि सहित ठेकेदार के कर्मचारियों की सूची अलग रजिस्टर में ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जानी अपेक्षित है।
- यदि ठेकेदार ने 20 या उससे अधिक मजदूर लगाए हैं तो जहां लागू हो वहां ठेका मजदूर अधिनियम तथा अन्तरराज्जीय प्रवासी मजदूर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करना चाहिए।
- सरकार द्वारा निर्धारित मजदूर कानून के संबंध में ठेकेदार सभी निबंधन व शर्तों से बंध होगा और रिटर्न इत्यादि प्रस्तुत करेगा।
- मजदूर मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाए।
- सीवर या मेनहोल में कार्य करने के बाद गैंजर, फोर मैन, ए एस आई या साइट इंचार्ज कनिष्ठ इंजीनियर सावधानी से जाँच करेंगे कि सभी सीवर या मेनहोल से बाहर आ गए हैं।

  संबंधित पर्यवेक्षक इंजीनियर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संरक्षा नियमों एवं उपायों के अनुसरण के बाद एईई/जेसी और ठेकेदार के जवाबदेह प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपिस्थति में वर्कर को मेन होल में प्रवेश की अनुमति है।
- संबंधित कार्यपालक इंजीनियर जिसके पर्यवेक्षण के अंतर्गत सीवर क्लीनिंग का कार्य किया जा रहा है वो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और कानूनी दिशा–निर्देशों के तहत वर्किंग परिस्थितियों, संरक्षा मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।
- ऐसे कार्यों के लिए प्राक्कलन तैयार करने के दौरान, संरक्षा मानदंडों व्यय तथा संरक्षा/प्रोटेक्टिव गियर फार्म के प्रावधान को आवश्यक उपशीर्ष तथा कम्पोजिट कार्य के हिस्सा के रूप में लेंगे।
- निर्धारित व्यक्तिगत संरक्षा उपस्कर एवं प्रोटेक्टिव गियर को साइट पर तैनात कर्मचारी के उपयोग के लिए उपलब्ध रखना चाहिए और वह तुरंत उपयोग के लिए उचित स्थिति में होना चाहिए और वर्कर को प्रवेश की अनुमति से पूर्व इन संबंधित द्वारा उपस्करों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए।
- जब कामगार को सीवर तथा मेनहोल में तैनात किया जाए तो वहां फीयर लाइक गम बूट, हैलमेट, ग्लबस, पीवीसी प्रोटेक्टिव बॉडी सूट, गैस मास्क के साथ ऑक्सीजन सीलेंडर, टार्च तथा रस्सी के साथ संरक्षा बैल्ट उपलब्ध कराए जाएं।

- मेनहोल में ताजी हवा डालने के लिए एयर ब्लोअर का प्रयोग किया जाए। जब कभी भी पोर्टेबल एयर ब्लोअर की मांग की जाए तो उसे मेनहोल के वैंटीलेटिंग के लिए उपयोग किया जाए।
- ठेकेदार द्वारा कामगार की नियुक्ति के तीन दिन के अंदर सीएल (ए एंड ए) केन्द्रीय नियम, 1971 को फार्म 14 में नियुक्ति कार्ड कामगार को जारी किया जाए।
- कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व वर्कर की चिकित्सा जाँच की जाए और मुफ्त में पाक्षिक नियमित अंतराल पर जांच की जाए और चिकित्सा रिकार्ड की प्रतियां पर्यवेक्षक इंजीनियर के कार्यालय मे प्रस्तुत की जाए।
- कार्य निष्पादन के दौरान, यदि सीवर/मेनहोल वर्क की सफाई के कारण किसी कामगार को बीमारी का पता चलता है तो संबंधित विभाग द्वारा मुफ्त में बीमारी का इलाज किया जाएगा।
- प्रतिवादी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा और ठेकेदार से वसूला जाएगा, यदि कानूनन अनुमत हो तो किसी व्यवसायिक बीमारी, रोग या दुर्घटना की स्थिति में मजदूर मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधान के अनुरूप मुआवजा दिया जाएगा।
- किसी ठेका कामगार सहित किसी कामगार की मृत्यु होने पर एक लाख रुपये के अनुदान का तुरंत भुगतान किया जाएगा और उसे कानून के अनुसार ठेकेदार से वसूला जाएगा।
- सांविधिक बकाया जैसे भविष्य निधि, ग्रैच्युटी, बोनस सभी सीवर कामगार तथा संविदा कामगारों को कानूनन भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।
- साइट ऑर्डर बुक में सभी घटनाओं का उचित रिकार्ड रखा जाए जिसमें निम्न सम्मिलित हैं :-
  - ठेकेदार के संरक्षा उपस्करों का प्रावधान।
  - प्रवेश से पूर्व सीवर लाइनों के निरीक्षण से पूर्व की तिथि
  - संरक्षा वर्करों का प्रशिक्षण।
  - संरक्षा गियर तथा संरक्षा उपस्करों का उपयोग
  - वर्किंग साइट की घेरा बंदी।

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

ORDER

Delhi, the 12th April, 2013

No.F.7(4)/2012-13/DSCST/SCP/909.—In supersession of order number F.7(4)/2012-13/DSCST/SCP/12398 dated 08-01-2013, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following notification:-

2. Whereas, a Commission namely "Delhi Commission for Safai Karamcharis" was set up vide Notification No. F. 1(1)/LA-2003/LJ/06/7697 dated: 6th December, 2006 under Delhi Act 7 of 2006 as passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 8th November, 2006 and assented to by Hon'ble Lt. Governor, Delhi on 25-11-2006 with the objective to safeguard the rights and interests, and the redressal of the grievances of the Safai Karamcharis residing in Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto;

3. And whereas as per section 14 of the above said Act, "the Commission may submit to the Government a Special Report on any matter of public importance pertaining to the interests of Safai Karamcharis";

18

4. And whereas the Commission submitted a Special Report on 20/04/2012 to the Government of National Capital Territory of Delhi regarding cleaning of sewers in Delhi;

5. And whereas the Government constituted a Committee under the Chairmanship of Secretary of the Commission, Chief Engineer (Delhi Jal Board) and Chief Engineer (DSIIDC) as its Members on 16/07/2012 to examine the aspects of the Special Report as well as for suggesting guidelines/norms to be adopted while undertaking the sewer cleaning;

6. And whereas above said Committee submitted a report to the Government on 25/07/2012;

7. **And whereas, the Government after considering the Special Report of Delhi Commission for Safai Karamcharis as well as remedial measures recommended by the Committee in its report, hereby notified that:—**

I. *Manual sewer cleaning is banned in Delhi.*

II. *In certain extenuating circumstances, if it is necessary for human entry in the sewer line, it should be: —*

A. *With the approval of an officer of the level of at least a Superintendent Engineer.*

B. *The entry should be in the presence of an officer of the level of at least an Assistant Engineer who would ensure the compliance of all safety measures including those given in Annexure-A.*

8. This notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
LALMAL SAWMA, Pr. Secy.

Annexure-A

Norms/Safety Guidelines to be followed by Department/Civic Agencies/Contractors while undertaking the work of sewer cleaning.

1. **STATUTORY PROVISIONS FOR SAFETY**

- There are laid down guidelines for safety measures to be adopted by each department in regard to workmen deputed for de-silling/cleaning of sewers under Section 36 of the Factories Act.
- There is also a BIS code of practice for safety precautions to be taken when entering a sewerage system (BIS code no. 11972-1987)

2. **REQUIREMENTS FOR DUTIES REQUIRING ENTRY INTO CONFINED SPACE**

1. Persons considered for employment in confined spaces shall be physically fit and capable of understanding the given training. Those with the undernoted disabilities shall not be recruited for this type of work and those who contract these should cease to be employed in this capacity.

- A history of fits, blackouts or fainting attacks;
- A history of heart disease or disorder;

- High blood pressure;
- Asthma, bronchitis or a shortness of breath on exertion;
- Deafness
- Meniers disease or disease involving giddiness or loss of balance;
- Claustrophobia or nervous or mental disorder;
- Back pain or joint trouble that would limit mobility in confined spaces;
- Deformity or disease of the lower limbs limiting movement;
- Chronic skin disease;
- Serious defects in eyesight; and
- Lack of sense of smell.
- Employees should be medically re-examined at reasonable intervals, taking into account the person's age and duties.
- The local agency shall impart training to the supervisory staff regarding implementation of this scheme and of safety measures including rescue methods and the use of safety equipment. Such training programme shall be repeated periodically.

GENERAL

- During the summer or hot period, persons should be allowed to go inside the manhole during morning hours or when the temperature is low.
- No Person should work inside the manhole for more than 15 minutes at a stretch. He should be withdrawn afterwards and the next person be sent.
- Smoking, naked lights or fires should not be permitted with 3 m of any manholes.
- Men working in manholes or sewers must have with them their gas detecting and other safety equipment.
- When the sewers are large enough to be entered, guard bars or chains must be kept in position across the sewer downstream of the place of the work.
- A lifeline must be used when working in sewers with a fast flowing current and special care must be taken when cleaning blockage.
- Copy of the safety measures in Hindi/local language be provided to such workers.
- Proper arrangements should be made for arranging treatment including arrangements to ensure speedy admission and treatment at any hospital in nearby vicinity of the site. The information of each accident should be given immediately to the concerned authorities.

17

- In a event of a man collapsing suddenly, when it is thought that this is due to "gas" the top man must be warned at once. Unless the casualty can be removed quickly, the men with him must immediately return to the surface. No further rescue attempt should be made without breathing apparatus, and help must be summoned at once by telephoning for the fire and ambulance services.

- Each worker working in the Main Sewer Division engaged in cleaning and de-silting operation of the sewer lines manholes etc. shall be medically, examined once a year and shall not be engaged if he is suffering from any of the diseases such as respiratory, skin, eye problems, infections, cardio vascular, spinal, psychiatric nature etc. The contractor shall submit with the contractee agency, a certificate from a registered medical practitioner showing that the workers to be engaged for the said contract of cleaning and de-silling operation, are not suffering from any of the above mentioned ailments.

- The workers should be provided with vaccination against certain diseases which sewerage workers normally suffer due to the nature of their work.

- First Aid Box properly stocked including washing bottles to wash away skin and eyes, should be kept

- The contractors engaged by local body for sewer cleaning and de-silling work, should take out workmen insurance policy at the contractor's cost (individual or group) for Rupees One lakh for each worker engaged by him for the work of sewer line and/or de-silling in order to cover' death of the worker, permanent disability or hospitalization of the worker caused by the said work. Similar insurance cover will also be arranged by the local body/authority responsible for operation and maintenance of sewer lines for its regular roll/casual roll employees engaged in such jobs.

- A vehicle with the safety equipment such as breathing apparatus, diver's suit, air blower, escape set etc., should be available to meet any emergency. The same vehicle shall have other facility such as first aid kit provision for eyewash, etc. This vehicle should be used as a ambulance van in case of an emergency or accident.

- List of the contractor's employees including their residential addresses, age, etc. is required to be supplied by the Contractor in a separate register.

- In the contractor has engaged 20 or more labourers, it is required to be registered under the Contract Labour Act and Inter state Migrate Labour Act, wherever applicable.

- Contractors should abide by all the rules and regulations in respect of labour laws prescribed by the Govt. Authorities and submit the returns etc.

- The workmen compensation should be paid to the contractor's employees as per the provisions of workmen's Compensation Act.

- After working in sewers or manholes.

- The ganger, foreman, ASI or Junior Engineer site incharge must check carefully that all men have left the sewer or manhole.

It shall be ensured by the concerned Superintending Engineer that the workers are allowed to enter the manhole only in the presence of the AEE's/JC's and responsible authorized representative of the contractor after following all safety rules and procedures.

- The concerned Executive Engineer under whose jurisdiction the work of the sewage cleaning is being undertaken shall act as nodal officer who ensures strict compliance of the working condition, safety norms and to meet with statutory directions in this behalf.

- While preparing the estimates for undertaking all such work, the expenditure on safety norms and provision of safety/protective gear forms an essential sub-head of the estimate and all these cost form part of composite work.
- All necessary personal safety equipments & protective gears as stipulated are kept available for the use of the person's employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use, and the contractor may be directed to take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned before the worker is allowed to enter.
- When the worker is employed in sewer and manholes they are provided with protected fears like gum boots, helmets, gloves, PVC protective body suits, gas mask with oxygen cylinders, torch and safety belt with rope.
- Air blowers are used to flow of fresh air through the manholes. Whenever call for portable air blowers they are used for ventilating the manholes.
- The workers are issued an employment card in form 14 of the CL (R & A) Central Rule, 1971 within three days of the employment of the worker by the contractor.
- The workers is medically examined before the commencement of the work and at a regular interval of fortnightly free of the cost and copies of medical records are furnished in the office of Superitending Engineer.
- During the execution of the work, if a worker is diagnosed with disease due to cleaning of the sewer/manhole work, the treatment of the disease shall be given free of cost by the concerned department.
- Compensation shall be paid by the respondents and recoverable from the contractors, if permissible in law, to all the workmen suffering from any occupational disease, ailment or accident in accordance with the provisions of accident in accordance with the provisions of the, Worker's Compensation Act, 1923.
- On the death of any worker, including any contract worker, an immediate exgratia solatium of Rs. One Lac with liberty to recover the same from contractors, of permissible in law shall be paid.
- To ensure payment of all statutory dues such as provident funds, Gratuity and Bonus to all the sewer workers, including contract workers, as applicable in law.
- A proper record of all the happening in the site order book shall be maintained which shall include :—
  - Provision of safety equipment of the contractor.
  - The date about pre-inspection of sewer lines before entering.
  - Training of safety workers.
  - Use of safety gears and safety equipments.
  - Barricading of working site.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054